

## न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

## उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

— प्रार्थी

## बनाम

1. रमेश पुत्र सुखलाल जाति ब्राह्मण निवासी मण्डाखेड़ा, तहसील मासलपुर जिला करौली
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मासलपुर

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक-14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 122/4, 132/2 रकबा क्रमशः 1-00, 0-05 बीघा ग्राम मण्डाखेड़ा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 122/4, 132/2 रकबा क्रमशः 1-00, 0-05 बीघा ग्राम मण्डाखेड़ा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2032-35 तक के खाता संख्या 183 किस्म बारानी-3 से श्री रमेश पुत्र सुखलाल निवासी मण्डाखेड़ा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में उपरोक्त भूमि श्री रमेश पुत्र सुखलाल कौम ब्राह्मण निवासी मण्डाखेड़ा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 122/4, 132/2 रकबा क्रमशः 1-00, 0-05 बीघा बाके ग्राम मण्डाखेड़ा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2072-75 नामांतरकरण संख्या 149 दिनांक 16.12.1976 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि नोटिस निराधार तथ्यों के आधार पर दिया गया है एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए यह नोटिस दिया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के नाम ग्राम मण्डाखेड़ा में मुताबिक जमाबंदी खसरा नं. 122/4, 132/2 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है और जमाबंदी सम्वत् 2075 में खसरा नं. 122/4 रकबा 1 बीघा बारानी-3 व खसरा नं. 132/2 रकबा 0.05 बिस्वा बारानी-3 नाम से अंकित है एवं नाली व नदी के नाम से कोई भी किस्म काश्त दर्ज नहीं है जबकि हल्का पटवारी ने अनाधिकार रेफरेंस के लिये रिपोर्ट पेश कर दी है वह निराधार तथ्यों के आधार पर है यदि उक्त जमीन आबंटन लायक नहीं थी तो आबंटन कमेटी ने उस समय उक्त जमीन को प्रार्थी के नाम वहैसियत खातेदार किस प्रकार से घोषित किया यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है प्रार्थी किसी प्रकार बेदखल किये जाने योग्य नहीं है नोटिस अपास्त किये जाने योग्य है व रेफरेंस काबिज इखराज है। रेफरेंस परिसीमा अधिनियम की धाराओं के विपरीत है चूंकि माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में विधिवत् दृष्टांतों में यह

स्पष्टीकरण दिया है कि किसी भी काश्तकार को 20 वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात् उक्त जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा किया गया तो विधि का खुला उल्लंघन होगा। इस बिना पर रेफरेंस तहसीलदार व नोटिस इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा खसरा परिवर्तन सील नकल व किस्म के बारे में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और पटवारी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए और बिना मिसिल तलब किये खसरा नम्बर 122/4, 132/2 नाली दर्ज होना कतई स्वीकार नहीं है। इस आधार पर रेफरेंस काबिल इखराज है। प्रार्थी ने उक्त भूमि को जिस्मानी मेहनत व लगन लाखों रुपये की लगाकर काबिल काश्त बनाया है व काबिज काश्त है उक्त रकबा 1 बीघा व रकबा 5 बिस्वा भाग है यदि प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी के भूखे मरने की नौवत आ जावेगी और प्रार्थी अपनी आजीविकोपार्जन से वंचित हो जावेगा तथा प्रार्थी को भारी अपूर्ण्य क्षति होगी और प्रार्थी उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगा। इस प्रकार नोटिस इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि बैंक में रहन है जिसमें बैंक के हित निहित हैं। बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 122/4, 132/2 रकबा क्रमशः 1-00, 0-05 बीघा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरण संख्या 149 दिनांक 16.12.1976 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 122/4, 132/2 रकबा क्रमशः 1-00, 0-05 किस्म बारानी-3 श्री रमेश पुत्र सुखलाल कौम ब्राह्मण निवासी मण्डाखेड़ा के नाम नियमन होकर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 133 में भी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डाखेड़ा की आराजी खसरा नंबर 122/4, 132/2 रकबा क्रमशः 1-00, 0-05 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

( डॉ. मोहन लाल यादव )  
जिला कलक्टर  
करौली

